ग्राम पंचायत डुगीलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डुगीलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुन्दर सिंह	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती रोशनी देवी	23.1.16 से लगातार

(ii) सचिवः—

1	स्र्व0 श्री देवी सिंह	1.4.14 से 8.4.16
2	श्रीमती प्रेमी देवी	26.5.16 से 30.8.16
3	श्री महिन्द्र सिंह	1.9.16 से 28.12.16
4	श्री राम लाल	29.12.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत डुगीलग के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (₹) (लाखों में)
1	4.1	वर्ष 2014–15 व 2015–16 की सामान्य रोकड़ बही का रख रखाव न करना	–
2	6	गृहकर की वसूली शेष	0.67
3	7	अनुदान का उपयोग न करना	30.80
4	8	अस्थाई अग्रिम का समायोजन हेतु शेष	0.70
5	10	औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना क्रय	2.04
6	13	व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/वाउचर जाँच हेतु प्रस्तुत न करना	2.38
7	14	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत किए गए भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद उपलब्ध न करना	5.40

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत डुगीलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.9.17 से 29.9.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 7/14, 2/16 व 3/17 तथा 7/14, 11/15 व 7/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत डुगीलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹**6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-112 दिनांक 28.9.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुगीलग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत डुगीलग, विकास खण्ड कुल्लू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत डुगीलग द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों की पास बुकों के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–I (क व ख)** में दिया गया है।

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	266600.99	1316719	15252	1598571.99	1331047	267524.99
2015–16	267524.99	2755054	10034	3032612.99	1706511	1326101.99
2016–17	1326101.99	4979638	55028	6360767.99	3074971	3285796.99

(ii) मनरेगाः– खाता संख्या 3378000105026357

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	69.93	88000	198	88267.93	83297.40	4970.53
2015–16	4970.53	–	28	4998.53	4998.53	शून्य
2016–17	–	–	–	–	–	–

4.1 वर्ष 2014–15 व 2015–16 की सामान्य रोकड़ बही का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत डुगीलग के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत की सामान्य रोकड़ बही वर्ष 2014–15 व 2015–16 जाँच हेतु पंचायत में उपलब्ध नहीं थी। रोकड़ बही के सम्बन्ध में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अवधि में कार्यरत्त सचिव का स्वर्गवास हो जाने के कारण वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की रोकड़ बही पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी तथा रोकड़ बही का पंचायत में उपलब्ध न होने की सूचना पत्र संख्या 22 व 23 दिनांक 9.3.17 द्वारा जिला पंचायत अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू को दी गई थी **(परिशिष्ट–5)** तथा वर्ष 2016–17 के लिए नई रोकड़ बही का रख रखाव किया गया। अतः वर्ष 2014–15 व 2015–16 की रोकड़ बही का पुनः नियमानुसार रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत डुगीलग द्वारा प्रस्तुत सामान्य रोकड़ बही वर्ष 2016–17 तथा IWMP व मनरेगा की रोकड़ बहियों के अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त आय व व्ययों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट 2 (क) (ख)** में दिया गया है। अतः वर्ष 2014–15 व 2015–16 में प्राप्त विभिन्न अनुदानों की आय व व्ययों का विवरण उपलब्ध अभिलेखों से तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत डुगीलग की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येंक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के

बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव नियम 7 (3) व 10(1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में जमा राशियों से मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 IWMP की रोकड़ बहियों को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण न करनाः–

ग्राम पंचायत डुगीलग द्वारा IWMP-1 व IWMP-II की रोकड़ बहियों को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः IWMP की रोकड़ बहियों में आय व व्ययों की प्रविष्टियाँ दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बहियों को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 गृहकर ₹0.67 लाख की वसूली शेषः–

पंचायत के गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि पंचायत का गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर वर्ष 2009–10 के पश्चात पूर्ण नहीं किया गया था। वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक गृहकर की मांग ₹22280 प्रति वर्ष थी परन्तु उक्त अवधि से गृहकर प्राप्त नहीं किया गया था जिस कारण सिर्फ 3 वर्षों अवधि 2014–15 से 2016–17 तक ₹66840 की वसूली शेष थी। **(परिशिष्ट–3)** अतः गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को वर्ष 2009–10 के पश्चात दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण करके वसूली हेतु कुल राशि की गणना करके रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा गृहकर की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6.1 मोबाईल टावर शुल्क माँग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करनाः—

सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0एच0ए0 (2)/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से ₹4000 स्थापना शुल्क तथा ₹2000 प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क प्रति टावर प्राप्त करने का अधिकार है तथा नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करनी आवश्यक है। अंकेक्षण अवधि में जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। अवधि 2014—15 से 2016—17 तक मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹5000 वसूली हेतु शेष थी। **(परिशिष्ट—3)** अतः मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए तथा मोबाईल टावर की स्थापना से लेकर दिनांक 31.3.17 तक वसूली हेतु कुल राशि की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹30.80 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—4)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹3079830 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृत पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 अस्थाई अग्रिम ₹0.70 लाख समायोजन हेतु शेषः—

व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिम का समायोजन किया जाना अपेक्षित था लेकिन निम्नविवरणानुसार अस्थाई अग्रिम का समायोजन हेतु उचित कार्यवाही न करने के कारण ₹70000 के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थी। अतः अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के

अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	दिनांक	चैक सं0	अग्रिम जिसे दिया गया	राशि (₹)
1	IWMP-II	8.3.16	000037/8.3.16	सचिव ग्राम पंचायत डुगीलग	50000
2	IWMP-II	23.3.16	000039/23.3.16	प्रधान ग्राम पंचायत डुगीलग	20000
				कुल	**₹70000**

9 रोकड़ बही (IWMP-I) में ₹1.00 लाख का व्यय विवरण दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत डुगीलग की IWMP-I की रोकड़ बही पृष्ठ 40 दिनांक 15.4.14 को ₹100000 की निकासी की प्रविष्टि दर्ज की गई थी परन्तु इस राशि की निकासी का उद्देश्य व व्यय विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उक्त राशि का व्यय विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित से की जाए।

10 औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ₹2.04 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित करना आदि प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹204056 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक/रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः निम्न विवरणानुसार क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय वस्तु को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	वस्तु	राशि (₹)
1	13th FC	-	8348/30.3.15	M/S Amar Traders, Mandi	Sports Material	47930
2	-	-	4876/15.9.15	M/S Pawanputra steels, Kullu	Steel	32700
3	-	-	2970/29.2.16	M/S Prashar Enterpriser Kullu	Paint material	6650
4	-	-	1670/10.2.16	M/S Phalani Narayan fabrication works, shallang	Palla & Dooris	16500
5	-	-	158/शून्य	M/S Sood Sales, Kullu	Bricks	40800
6	Panchayat Nidhi	12/1/2017	335/11.1.17	M/S Shivalik Electric	Room Heater	850

				Emporium, Kullu		
7	-do-	13/1/2017	019/12.1.17	M/S Luxmi Printing Press Shamshi	Registers	750
8	-do-	13/1/2017	025/24.1.17	-do-	Stationery	750
9	14th FC	05/1/2017	230/6.1.17	M/S Ashapuri stone crusher Hurla	Sand	36350

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register
2	Temporary Advance Register
3	Work Register
4	Bill Register
5	Cheque issue/Receipt Register
6	Stationary Register

13 ₹2.38 लाख के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध न करना:–

अंकेक्षण अवधि के माह 7/2014 बैंक खाता संख्या 20006006360 से निम्नविवरणानुसार ₹237783 आहरित दर्शाई गई जबकि इससे सम्बन्धित अभिलेख/वाउचर

आदि अंकेक्षण जाँच हेतु प्रस्तुत/उपलब्ध नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे आगामी अंकेक्षण के समय जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए। अभिलेख उपलब्ध न करवाना एक गम्भीर अनियमितता है जिस पर अविलम्ब कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	**चैक सं0**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1	128524	2.7.14	14942
2	128525	3.7.14	26100
3	128522	17.7.14	5000
4	128536	17.7.14	72750
5	128529	18.7.14	40420
6	128535	21.7.14	15000
7	128537	22.7.14	41106
8	128526	26.7.14	5000
9	128531	30.7.14	17465
		योग	**₹237783**

14 स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹5.40 लाख के भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः–

अंकेक्षण अवधि के 11/2015 को बैंक खाता संख्या 20006006360 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों को देय ₹540060 (विवरण **परिशिष्ट–7** में) की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः प्रत्येक लाभार्थी को देय राशि की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में प्रत्येक भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद (APR) प्राप्त करके वाउचर फाईल में क्रमवह तरीके से लगााया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किए IWMP-II से ₹0.04 लाख का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के बिल वाउचरों की जाँच में पाया गया कि IWMP-II की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 38 माह 7/14 में श्री मोहन राम गाँव शिलधारी की खूरली निर्माण हेतु

जारी मस्ट्रोल संख्या 08942 द्वारा ₹4260 का भुगतान दर्शाया गया था जबकि मस्ट्रोल में कार्यरत्त व्यक्तियों की उपस्थिति (Attendance) मस्ट्रोल में दर्ज नहीं की गई थी व न ही मस्ट्रोल पंचायत के सक्षम अधिकारी से पास करवाया गया था। अतः मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना किया गया भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अन्यथा भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत के लेखों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 19/2017–खण्ड–1–1867–1870 दिनाँक 15.3.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत डुगीलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881